न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेनू मीना, आर0 ए0 एस0

राजस्व वाद:–1/76

तारीख रज्जू:–09.07.2018

1 रामप्रताप पुत्र भंवरिया

2 रामस्वरूप पुत्र भवंरिया

3 रामजीलाल पुत्र भंवरिया

4 कम्पो पुत्री गोविन्द सहाय

5 कमल पुत्र गोविन्द सहाय

6 कैलाश पुत्र गोविंद सहाय

7 चान बाई पुत्री गोविंद सहाय

8 दाखली देवी पत्नी गोविंद सहाय

9 नेतराम पुत्र गोविंद सहाय

10 बाबूलाल पुत्र गोविंद सहाय

11 भोलाराम पुत्र गोविंद सहाय

12 रामकिशोर उर्फ किशोर पुत्र गोविंद सहाय

13 रामजीवन पुत्र गोविन्द सहाय

14 संती पुत्री गोविंद सहाय

15 सोमोती पुत्री गोविंद सहाय

16 केशन्ता पुत्री जयराम

17 कौशल्या देवी पत्नी जयराम

18 प्रेम पुत्री जयराम

19 बबली पुत्र जयराम

20 बर्फो पुत्री जयराम

21 राजन्ती पुत्री जयराम

22 शीशराम पुत्र जयराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.05.24 12:01:06 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर
वर

Scanned by CamScanner

जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम मुण्डावरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

..........प्रार्थी वादीगण

बनाम

1 क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना सरिस्का मुख्यालय अलवर

2 उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का जिला अलवर

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाघ परियोजना सरिस्का रेंज अकबरपुर मुख्यालय अलवर

4 राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर अलवर राज.

..............अप्रार्थी प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय

दिनांक 26.03.2021

वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसमे प्रतिवादीगण क्षेत्रीय वन अधिकारी अकबरपुर के द्वारा एक [illegible] अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दिवानी का इस [illegible] आराजी खसरा नम्बर 65,91,93 कुल किता 3 कुल रकबा [illegible] है [illegible] म डाबली मे स्थित है। जो आराजी भंवरिया पुत्र भैरा के नाम दर्ज थी जि[illegible]की मृत्यु के बाद उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.05.24 12:01:06 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर
...नगर

Scanned by CamScanner

वारिसान के दर्ज हो गई जो आराजी बाघ परियोजना सरिस्का के कोर एरिया मे स्थित है जो वन्यजीव बाघ,बघेरो वन्यजीवो का विचरण क्षेत्र है। जिसकी मानिटरिंग National Tiger Conservation Authority द्वारा दिशा निर्देशो के मुतावित की जाती है। जिसके तहत विवादित आराजी के खातेदारान को भी विभिन्न समझाईस के माध्यम से बाघो के सरंक्षण के हितार्थ विस्थापन पैकेज का लाभ देकर उस क्षेत्र मे रहने वाले लाभार्थीयो को सरकार द्वारा जारी विस्थापन गाईड–लाईन के मुताबित विस्थापन पैकेज प्रदान कर तथा अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की एवज मे पैकेज प्रदान कर प्रत्येक लाभार्थी के सभी अधिकारो को राज्य सरकार मे समाहित किया गया। इस प्रकार वादी सं0 1,2,3,5,6,9,10,11,12,13 तथा वादी सं0 4,7,8,14,15 के पति/पिता गोविन्द पुत्र भंवरिया गुर्जर तथा वादी सं0 17,19,22 तथा वादी सं0 18,20,21 के परिजन वादी सं0 17,19,22 द्वारा विस्थापन पैकेज का लाभ प्राप्त कर ग्राम डाबली में अन्य गॉव मे स्थित अपने विकसित, अविकसित समस्त जायदाद को समर्पित कर विकल्प सहमति पत्र अनुबंध कब्जा हस्तान्तरण पत्र विस्थापन हेतु सहमति पत्र समर्पण नामा बाघ परियोजना सरिस्का के हक मे विस्थापन पैकेज का लाभ प्रति परिवार के रूप मे प्राप्त कर विवादित भूमि पर अपना कब्जा हस्तान्तिरित कर दिया गया है। विवादित आराजी से कोई लेना–देना नही है। वादीगण की माता/सास/दादी सोनी पत्नि भंवरिया का स्वर्गवास मुतावित रिकॉड सन् 2010 मे हो चुका है। प्रतिवादीगण विभाग राज्य सरकार के साथ धोखाधडी करते हुए अपनी माता को जिवित बताते हुए विस्थापन सर्वेक्षण अपनी माता का नाम बतौर लाभार्थी दर्ज करवा दिया और विस्थापन पैकेज का लाभ प्राप्त करने के बाद बाले वाले ही विवादित भूमि का 1/6 हिस्सा का विरासत इन्तकाल वादीगण ने अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि वादीगण मृतका सोनी पत्नि भंवरिया के परिवार द्वारा विस्थापन पैकेज प्राप्त किया जा चुका है। वादीगण मिन प्रतिवादीगण को तंग परेशान करने तथा राज्य सरकार की एवं वन्य जीवो की सुरक्षा संनक्षण एवं सर्वद्धन को बढ़ावा देने वाली योजनाओ को विफल करने की गरज से तथा बेजा तरीका से नाजायज लाभ प्राप्त करने की गरज से वास्तविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.05.24 12:01:06 IST
Reason: SelfAttested

क कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

तथ्यो को छुपाते हुए मौजूदा दावा पेश किया है। वादीगण भूमि गैर काबिज गैर वास्ता व्यक्ति है। जिनका विवादित आराजी से कोई लेना देना नही है। और विस्थापन पैकेज का लाभ प्राप्त करने के वाद दावा करने का अधिकार प्राप्त नही है। जिस आधार पर वादीगण का वाद जो पोषणीय नही होने के कारण काबिज खारिज है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र पर वादीगण के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र जवाब इस आशय का पेश किया कि यह सही है कि खसरा नम्बर 65,91,93 कुल किता 3 कुल रकबा 1.36 हैक्टयर ग्राम डाबली तहसील व जिला अलवर भंवरिया पुत्र भैरा के नाम दर्ज थी जिसकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी उसके वारिसान व उसकी पत्नि सोनी हम वादीगण के नाम हो गई। वादीगण ने दावा 1/6 बाबत किया जिस आराजी का कोई पैकेज मुआवजा हम वादीगण को नही दिया गया। विवादित आराजी 1/6 भाग मृतका सोनी खातेदार काबिज काश्तकार थी। हम वादीगण मृतका सोनी के उत्तराधिकारी है। विवादित आराजी का कोई मुआवजा पैकेज नही दिया गया है। जो प्रतिवादीगण की सरासर नाइंसाफी है। जो अधिग्रहण करने व अपना नाजायज कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। प्रतिवादीगण हम वादीगण जो कि गरीब काश्तकार/अशिक्षित व ग्रामीण व्यक्ति है। बिना अधिग्रहण बिना कोई विस्थापन पैकेज दिये अधिग्रहण की गई अन्य 5/6 की आराजी की आड मे वादीगण की बाकी बची विवादित 1/6 भाग की आराजी को भी अपने नाजायज कब्जे मे लेना चाहते है। अतः प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र मनगढंत व मिथ्या तथ्यो को आधार बनाकर पेश किया है। जो किसी भी सूरत मे चलने योग्य नही है। प्रतिवादीगण ने जो अपने प्रार्थना पत्र मे जो आधार लिये है। उन बाबत तनकीयात कायम किया जाना तथा दोनो पक्षो की साक्ष्य ली जा कर विधिक रूप से निस्तारण किया जाना चाहिये।

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम [illegible] दीवानी पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र [illegible] वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तथा प्रार्थना पत्र मे समर्थन मे National Tiger Conservation Authority द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन [illegible] दिशा निर्देशो की कॉपी

कलक्टर
लवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.05.24 12:01:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा निस्पादित सहमति पत्र, अनुबंध, कब्जा, हस्तान्तरण पत्र, शपथ–पत्र, विस्थापन , सन् 2011–12 में बाघ परियोजना सरिस्का मे लिए विस्थापन हेतु सहमति पत्र की प्रति सोनी पत्नि भंवरिया का सन् 2010 मे मृत्यु का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तथा निम्न नजीर पेश कर अप्रार्थीगण/वादीगण का वाद खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

RRT 2018 (2) 1425

RRT 8 2020 (1)

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश नियम 07 (11) जाब्ता दीवानी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व वजीरो का अवलोकन किया उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रतिवादी द्वारा पेश National Tiger Conservation Authority के द्वारा जाती गजर नोटिफिकेशन एवं दिशा निदेशो के मुताबित भूमि पर काबिज सभी काश्तकारो को परिवार का पिस्थापन पैकेज में परिवार कि परिभाषा निम्न है। A family shall mean karta, spouse (Husband/Wife) & minor children and other persons such as parents dependent karta of the family.

वादीगण व पूर्वज द्वारा माता सोनी पत्नि भंवरिया की मृत्यु का तथ्य छुपाते हुए पुत्र गोविन्द सहाय के साथ आश्रित परिवार सदस्य के रूप दर्शाते हुए परिवार को ईकाई में शामिल करते हुए विस्थापन पैकेज का लाभ अपने जीवन काल मे प्राप्त कर चुके है।

कौशल्या, बबली,शीशराम भी विस्थापन पैकेज का लाभ प्राप्त कर चुके है। जो विस्थापन पैकेज के साथ [illegible] पत्र, सहमति पत्र अनुबन्ध, कब्जा पत्र , हस्तान्तरण पत्र से [illegible] है [illegible] मात्र राजस्व अभिलेख में नामान्कन होने के आधार पर [illegible] निषेधाज्ञा का राजस्व वाद प्राथमिक स्तर पर विधि द्वारा बाधित है। वाद [illegible]तुति के पूर्व ही वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.05.24 12:01:06 IST
Reason: SelfAttested

...क कलक्टर
...लवर

Scanned by CamScanner

है। इस प्रकार वाद प्रस्तुति के पूर्व ही वादीगण व उसके पूर्वज द्वारा विस्थापन पैकेज का लाभ प्राप्त कर लिए जाने के कारण वाद हेतु उत्पन नही होता है एवं ना ही वाद प्रस्तुति का अधिकार प्राप्त होता है अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 (क) जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 (क) जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को लिख बाया जाकर खुले न्यायालय मे सरे आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.05.24 12:01:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner